RBL BANK
apno ka bank

आरबीएल बैंक' या 'बैंक' शब्द का अर्थ आरबीएल बैंक लिमिटेड है।

सोने के गहनों पर ऋण
आवेदन पत्र

आवेदन संख्या

आवेदन की तिथि

विवरण – (आवेदक द्वारा भरने हेतु)

मौजूदा ग्राहक के मामले में, ऋण खाता संख्या/ग्राहक आईडी

पैन नंबर **या** फॉर्म 60

ग्राहक के प्रकार : व्यक्तिगत सी. आई. एफ. आईडी

यहाँ फोटो चिपकाएँ और इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि आपका हस्ताक्षर फोटो और फॉर्म, दोनों पर आ जाए।

टाइटल

प्रथम नाम

मध्य नाम

अंतिम नाम

विवाह पूर्व नाम (यदि कोई है)

पिता / पति का नाम

माता का नाम *

जन्म तिथि * आयु वर्ष जन्म स्थान

लिंग नागरिकता-भारतीय

वैवाहिक स्थिति आश्रितों की संख्या

योग्यता

निवास

मौजूदा पते पर निवास की अवधि (वर्षों में)

निवासी स्थिति

धर्म

ग्राहक का वर्ग

दिव्यांग व्यक्ति * (यदि हाँ, तो कृपया निर्दिष्ट करें)

मोबाइल ईमेल

आवेदक के मौजूदा निवास का पता ☐ पत्राचार हेतु पता

आवेदक के स्थायी निवास का पता ☐ पत्राचार हेतु पता

आवेदक के कार्यालय का पता ☐ पत्राचार हेतु पता

नामिती की घोषणा

गिरवी रखे गए एवं बैंक की अभिरक्षा में रखे गए सोने के आभूषण / गहनों के संबंध में नामांकन।

मैं / हम ______________________ (नाम और पता) नीचे दिए गए व्यक्ति को नामिती बनाता / बनाती हूँ / बनाते हैं, जिसे मेरी / हमारी मृत्यु की स्थिति में बैंक में गिरवी रखे गए एवं बैंक की अभिरक्षा में रखे सोने के आभूषण / गहने, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, बकाया राशि का पूर्ण भुगतान किए जाने पर बैंक द्वारा वापस कर दिए जाएंगे। ______

नामिती व्यक्ति का नाम और पता (कृपया सुनिश्चित करें कि नामिती व्यक्ति नाबालिग नहीं हैं) ______________________ उधारकर्ता के संबंध ,यदि कोई हो ______ आयु ____ वर्ष

मैं/हम यह पुष्टि करता/करती हूँ/करते हैं कि यह नामांकन, मेरे/हमारे द्वारा किए गए किसी भी अन्य निर्णय पर प्राथमिकता रखेगा, चाहे वह वसीयतनामा के माध्यम से किया गया हो या अन्य किसी प्रकार से। नामांकित व्यक्ति को बैंक के पास गिरवी रखे गए किसी भी सोने के आभूषण या गहने को, जो बैंक की अभिरक्षा में हैं, समस्त बकाया ऋण का पूर्ण भुगतान करने के उपरांत प्राप्त करने का अधिकार होगा। मैं/हम यह भी पुष्टि करता/करती/करते हूँ कि ऐसे प्रतिप्रदान (वापसी) के बाद बैंक को पूर्णतः मुक्त और सभी उत्तरदायित्वों से विमुक्त माना जाएगा।

आवेदक के रोजगार का विवरण

व्यवसाय के प्रकार: ______

नियोजक / व्यवसाय का नाम : ______

पद : ______

मौजूदा नौकरी/व्यवसाय के वर्ष ____ नौकरी का कुल अनुभव: ____ अनुमानित वार्षिक आय ______

ऋण का विवरण

आवश्यक ऋण राशि (रु.) ______ अवधि: ______ महीने / दिन ब्याज दर: ______ (फिक्स्ड)

ब्याज भुगतान की विधी : ______

संवितरण की विधी : आरबीएल बैंक खाते में जमा करें (खाता संख्या) ______

मैं / हम आरबीएल बैंक को अधिकृत करते हैं कि वह मेरे / हमारे आरबीएल बैंक में संचालित बचत खाते से इस ऋण सुविधा के पुनर्भुगतान हेतु मूलधन, ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क, दंडात्मक ब्याज, विलंब शुल्क तथा अन्य सभी देय राशियाँ, निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची एवं सहमति शर्तों के अनुसार सीधे डेबिट कर सकता है।

ऋण लेने का उद्देश्य: (कृपया उपयुक्त विकल्प पर ✓ चिन्ह लगाएँ)

☐ कृषि विकास
☐ कृषि सबंधित विकास गतिविधि [☐ डेयरी ☐ मुर्गी पालन ☐ मधुमक्खी पालन]
☐ फसल कटाई से पहले और बाद की गतिविधियाँ (जैसे — छिड़काव, निराई, कटाई, छंटाई, ग्रेडिंग एवं अपनी कृषि उपज का परिवहन)

घोषणा (कृषि उद्देश्य के लिए)

- मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरी आय कृषि आय के अतिरिक्त अन्य व्यवसायिक / व्यक्तिगत स्रोतों से भी है, तथा मैं लागू ऋण के लिए मासिक अंतराल पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ।

गैर-कृषि

☐ घर की मरामत ☐ संपत्ति अधिग्रहण ☐ ऋण का पुनर्भुगतान ☐ ऋण समेकन
☐ निजी उपयोग (चिकित्सीय उपयोग / शिक्षा / यात्रा व्यय उपयोग) ☐ बंधक मुक्ति ☐ व्यावसायिक उपयोग
☐ अन्य (यदि हाँ, तो निर्दिष्ट करें) ______)

ग्राहक के द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा (पीएसएल और इसके अंतिम उपयोग के लिए)

मैं अवगत हूँ कि इस प्रतिनिधित्व घोषणा और पुष्टि के विश्वास पर ही आरबीएल बैंक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की श्रेणी के तहत वित्तीय सहायता के लिए मेरे ऋण आवेदन पर विचार करने के लिए सहमत हुआ है।

पहचान संबंधी विवरण

दस्तावेज़ का प्रकार ______

*दस्तावेज़ पहचान संख्या : ______ आधार संख्या : XXXXXXXX ____

दस्तावेज़ निर्गमन तिथि ______ दस्तावेज़ की वैधता समाप्ति तिथि ______

*(केवल पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अनिवार्य)

पते का प्रमाण (पीओए)

दस्तावेज़ का प्रकार ______

*दस्तावेज़ पहचान संख्या : ______ आधार संख्या : XXXXXXXX ____

दस्तावेज़ निर्गमन तिथि ______ दस्तावेज़ की वैधता समाप्ति तिथि ______

*(केवल पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अनिवार्य)

संदर्भ (रिफरेंस) विवरण

I. संदर्भ व्यक्ति का नाम :

संबंध : संपर्क नंबर :

ii. संदर्भ व्यक्ति का नाम :

संबंध : संपर्क नंबर :

ग्राहक सहमति

1. मैं / हम बैंक को अधिकृत करते हैं कि वह मेरे / हमारे द्वारा प्रदान की गई या मुझसे / हमसे संबंधित जानकारी / डेटा को बिना मेरी / हमारी किसी अतिरिक्त सहमति या प्राधिकरण के, किसी भी प्रकार से साझा , प्रकटीकरण , विनिमय या उपयोग कर सके। आरबीएल बैंक की समूह कंपनियों, सहयोगी संस्थाओं, सहायक कंपनियों, संबद्ध संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों या ऐसे किसी व्यक्ति / संस्था के साथ जिसके साथ बैंक ने या भविष्य में करने का प्रस्ताव रखा है बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों / सेवाओं के विपणन, प्रस्ताव या बिक्री के उद्देश्य से।

☐ हाँ ☐ नहीं,मैं अपनी जानकारी / डेटा के साझा, प्रकटीकरण, विनिमय या उपयोग के लिए सहमति नहीं देता/देती हूँ।

2. आरबीएल बैंक समय-समय पर आवेदन पत्र में आपके व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करके आपको मार्केटिंग जानकारी भेजना चाहता है/ आरबीएल बैंक द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों, सेवाओं या प्रचार पस्तावों के बारे में सूचित करने के लिए आपसे संपर्क करना चाहता है, जो आरबीएल बैंक द्वारा स्वयं और सहयोग से या सहभागीयों/तीसरे पक्ष के साथ टाई-अप के माध्यम से पेश किए जाते हैं। नीचे अपनी प्राथमिकता देकर आप आरबीएन बैंक को एसएमएस, फोन कॉल और ईमेल के माध्यम से आपसे संपर्क करने की अनुमति देते हैं या अस्वीकार करते है।

☐ हाँ ,बैंक मुझे से संपर्क कर सकता है ☐ नहीं, बैंक मुझ से संपर्क नहीं कर सकता

3. बीमा उत्पादों के लिए सहमति

☐ मैं/हम आरबीएल बैंक दवारा पेश की गई बीमा का विकल्प चुनना चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं ☐ नहीं. मैं बीमा कराने के लिए सहमति नहीं देता देती हूँ

निदेशक / वरिष्ठ अधिकारी की घोषणा

बैंक के निदेशक / वरिष्ठ अधिकारी या किसी अन्य बैंक के निदेशक के साथ संबंध के बारे में ग्राहक द्वारा घोषणा।

I. मैं आरबीएल बैंक का निदेशक हूँ? ☐ हाँ ☐ नहीं

I. मैं किसी अन्य बैंक* का निदेशक हूँ? ☐ हाँ ☐ नहीं बैंक का नाम : _____

II. मैं आरबीएल बैंक का वरिष्ठ अधिकारी हूँ? ☐ हाँ ☐ नहीं

III. मैं/हम आरबीएल बैंक अथवा किसी अन्य बैंक* के निदेशक या आरबीएल बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी के संबंधी हूँ/हैं। ☐ हाँ ☐ नहीं

IV. मैं/हम ऐसी संस्था/संघ/इकाई (Entity)** से संबद्ध हैं, जिसमें आरबीएल बैंक के निदेशक**, निदेशक के संबंधी** या वरिष्ठ अधिकारी के संबंधी** निदेशक, भागीदार, जमानतदार, संबंधित पक्ष ** अथवा कर्मचारी के रूप में जुड़े हों। यह संस्था ऐसी सहायक (Subsidiary) अथवा मूल/होल्डिंग कंपनी भी हो सकती है, जिसमें आरबीएल बैंक का कोई निदेशक निदेशक, प्रबंध एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या जमानतदार हो,
☐ हाँ ☐ नहीं

V. मैं आरबीएल बैंक के किसी निदेशक के साथ किसी फर्म में भागीदार हूँ या आरबीएल बैंक का कोई निदेशक मेरी किसी ऋण सुविधा के लिए जमानतदार है। ☐ हाँ ☐ नहीं

* इसमें अनुसूचित सहकारी बैंकों के निदेशक, सहायक कंपनियों के निदेशक, म्यूचुअल फंड्स / वेंचर कैपिटल फंड्स के न्यासी भी शामिल हैं।

* "संस्था " में फर्म या कंपनी शामिल है। "निदेशक " में आरबीएल बैंक या किसी अन्य बैंक के निदेशक भी सम्मिलित हैं। "संबंधित पक्ष " से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो पर्याप्त हित रखता हो, प्रमुख शेयरधारक हो, प्रबंधक या प्रबंध एजेंट हो, अथवा नियंत्रण की स्थिति में हो।*

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं आरबीएल बैंक या किसी अन्य बैंक के निदेशक(ओं) और/या वरिष्ठ अधिकारी(ओं) से संबंधित हूँ, जैसा कि नीचे उल्लिखित है

क्रम सं.	निदेशक / वरिष्ठ अधिकारी का नाम	पद	संबंध
1			
2			

RBL BANK apno ka bank

सोने के गहनों पर ऋण

आवेदन संख्या

तिथि :

हम श्री/सुश्री _____ द्वारा सोने के गहनों पर ऋण हेतु आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि करते हैं। यह आवेदन, आपके द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के संतोषजनक रूप से प्रस्तुत / निष्पादन के पश्चात, तथा आरबीएल बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों एवं नियमों के अधीन, प्रक्रिया में लिया जाएगा।

शुल्क की अनुसूची

शुल्क का प्रकार	राशि (रु.)	शुल्क का प्रकार	राशि (रु.)
प्रसंस्करण शुल्क		पूर्व भुगतान शुल्क	ऋण राशि का 1% • यदि 90 दिनों की अवधि वाले ऋण को 60 दिनों के भीतर बंद किया जाता है। • यदि 180 दिनों की अवधि वाले ऋण को 90 दिनों के भीतर बंद किया जाता है। • यदि 360 दिनों की अवधि वाले ऋण को 180 दिनों के भीतर बंद किया जाता है। • यदि 720 दिनों की अवधि वाले ऋण को 180 दिनों के भीतर बंद किया जाता है।
मूल्यांकन शुल्क			
स्टैम्प ड्यूटी	वास्तविक स्थिति में	अतिदेय शुल्क / विलंब शुल्क	ब्याज / मूलधन के अतिदेय पर 2%
अंश/आंशिक भुगतान शुल्क	शून्य	कानूनी, नीलामी एवं सहवर्ती शुल्क	वास्तविक स्थिति में

ध्यान दें :

- उपर्युक्त सभी शुल्क बैंक के विवेकानुसार समय-समय पर परिवर्तित किए जा सकते हैं।
- जहाँ भी लागू हो, उपर्युक्त शुल्क करों (Taxes) से अतिरिक्त हैं।

आपका ऋण आवेदन स्वीकृत किया गया है।

कृपया ध्यान दें कि नीतिगत मानदंड आंतरिक होते हैं और एक बैंक से दूसरे बैंक के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।

RBL BANK
apno ka bank

सोने के गहनों पर ऋण
आवेदन पत्र

स्रोत विवरण

शाखा का नाम : _____ योजना : _____ उत्पाद : **सोने के गहनों पर ऋण**

शाखा कोड : _____

☐ शाखा कर्मी ☐ कृषि बिक्री टीम
☐ सोने पर ऋण अधिकारी ☐ कनेक्टर
☐ स्पोक शाखा ☐ अन्य _____

कनेक्टर कोड (यदि लागू हो) : _____
कनेक्टर स्रोत प्रकार : BLTRF / प्रत्यक्ष
स्पोक सोल/नाम (यदि लागू हो): _____

एल.जी. कोड : _____ एल.जी. कोड : _____
एल.जी. नाम : _____ एल.जी. नाम : _____

आवेदक द्वारा घोषणा

i. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारियाँ एवं विवरण सत्य, सही और पूर्ण हैं, तथा आरबीएल बैंक लिमिटेड ("आरबीएल") से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई या रोकी नहीं गई है। मैं/हम यह भी सहमति देते हैं कि मुझे/हमें आवश्यक वित्तीय सहायता के संबंध में बैंक द्वारा मांगे जाने पर अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे। मैं/हम यह पुष्टि करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा ऋण आवेदन के साथ संलग्न किए गए वित्तीय विवरण / बैंक विवरण / स्वामित्व / विधिक दस्तावेज़ों की प्रतियाँ सत्य प्रतियाँ हैं। मैं/हम आरबीएल बैंक को यह अधिकृत करते हैं कि वह मेरे बारे में किसी भी बैंक या व्यक्ति से संदर्भ जाँच कर सकता है।

ii. मैं/हम समझते हैं कि उपर्युक्त दी गई समस्त जानकारी, बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार पर मुझे/हमें प्रदान की जाने वाली किसी भी सुविधा का आधार होगी। मैं/हम आगे यह सहमति देते हैं कि बैंक द्वारा दी जाने वाली कोई भी सुविधा, समय-समय पर लागू बैंक के नियमों के अधीन होगी, तथा मैं/हम उन सभी शर्तों और नियमों से बंधे रहेंगे जो ऐसी सुविधा से संबंधित हैं। मैं/हम बैंक को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वह लागू शुल्क, प्रभार, ब्याज आदि के लिए मेरे/हमारे ऋण खाते से राशि डेबिट कर सकता है।

iii. मैं/हम यह वचन देते हैं कि यदि मेरे/हमारे आवासीय या व्यवसायिक/नौकरी के पते या किसी अन्य ऐसी जानकारी में कोई परिवर्तन होता है, जो मेरी/हमारी ऋण पात्रता को प्रभावित कर सकती है, तो मैं/हम इसकी लिखित सूचना आरबीएल बैंक को देंगे। मैं/हम यह भी सहमति देते हैं कि पते, संपर्क विवरण या रोजगार से संबंधित किसी भी परिवर्तन की स्थिति में बैंक को समय-समय पर सूचित करेंगे तथा ऐसे परिवर्तन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अद्यतन दस्तावेज़ प्रस्तुत करेंगे।

iv. मैं/हम यह समझते हैं कि आरबीएल बैंक को मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफ्स और दस्तावेज़ों को अपने पास रखने का अधिकार है, तथा वे मुझे/हमें वापस नहीं किए जाएंगे। मैं/हम यह भी समझते हैं कि इस ऋण की स्वीकृति पूर्णतः आरबीएल बैंक के विवेक पर निर्भर है तथा इसके लिए बैंक द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ों के निष्पादन एवं अन्य औपचारिकताओं का पालन किया जाना अनिवार्य है। मैं/हम आगे यह सहमति देते हैं कि मेरा/हमारा ऋण आरबीएल बैंक की नीतियों, नियमों एवं समय-समय पर लागू अन्य विधिक एवं विनियामक दिशा-निर्देशों के अधीन रहेगा।

v. मैं यह पुष्टि करता/करती हूँ कि मेरे/हमारे विरुद्ध कोई दिवालियापन (Bankruptcy) संबंधी कार्यवाही लंबित नहीं है तथा न ही मुझे/हमें कभी दिवालिया घोषित किया गया है।

vi. मैं/हम आरबीएल बैंक को यह अधिकृत करता/करते हैं और सहमति प्रदान करते हैं कि वह, बिना मुझे/हमें पूर्व सूचना दिए, मेरे/हमारे द्वारा आवेदन पत्र/संबंधित दस्तावेज़ों में दी गई जानकारी को, आरबीएल की अन्य शाखाओं/सहायक कंपनियों/संबद्ध संस्थाओं/क्रेडिट ब्यूरो/रेटिंग एजेंसियों/सेवा प्रदाताओं/बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकारी या विनियामक प्राधिकरणों अथवा अन्य तृतीय पक्षों के साथ साझा कर सकता है यह जानकारी अपने ग्राहक को जानें (KYC) सत्यापन, ऋण जोखिम विश्लेषण या अन्य संबंधित प्रयोजनों के लिए साझा की जा सकती है, जिन्हें आरबीएल उपयुक्त समझे।

vii. मैं/हम यह समझते और स्वीकार करते हैं कि आरबीएल बैंक को मेरे/हमारे आवेदन को अस्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है। ऐसी अस्वीकृति के लिए अथवा अस्वीकृति की सूचना देने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए आरबीएल बैंक किसी भी प्रकार से मेरे/हमारे प्रति उत्तरदायी या दायित्वपूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार की अस्वीकृति या सूचना में विलंब से उत्पन्न किसी भी लागत, हानि, क्षति, व्यय या अन्य परिणामों के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

viii. मैं/हम यह समझते हैं कि ऋण की अवधि, पुनर्भुगतान, ब्याज दर अथवा अन्य शर्तें ऋण प्रक्रिया के पूर्ण होने में विलंब, मुद्रा बाजार की परिस्थितियों में परिवर्तन, वैधानिक या विनियामक आवश्यकताओं में संशोधन अथवा आरबीएल बैंक के विवेकाधिकार के कारण परिवर्तित की जा सकती हैं। आरबीएल बैंक को ऋण की शर्तों की समीक्षा करने एवं उन्हें अपने अनुसार संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

ix. मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैं/हम राजनीतिक रूप से संपृक्त व्यक्ति नहीं हैं, और न ही ऐसे किसी व्यक्ति से संबंधित हैं, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर परिभाषित एवं संशोधित किया गया है।

x. मैं/हम पुष्टि करता/करते हैं कि आरबीएल बैंक ने मुझे/हमको निम्नलिखित के संबंध में सूचित किया है :

(क) ऋण पर लागू ब्याज दर, ब्याज का प्रकार तथा अन्य लागू शुल्क जैसे चेक वापसी शुल्क , पूर्व-निर्धारित तिथि से पूर्व भुगतान शुल्क , पोस्ट-डेटेड चेक स्वैपिंग शुल्क आदि।

(ख) ऋण आवेदन हेतु देय प्रसंस्करण शुल्क , जो गैर-वापसीयोग्य है, तथा इस पर लागू वस्तु एवं सेवा कर , जो शुल्क के साथ वसूल किया जाएगा।

(ग) ईएमआई / पुनर्भुगतान से संबंधित विवरण एवं देय राशि, ऋण की शर्तों एवं नियमों के माध्यम से पृथक रूप से सूचित किए जाएंगे।

xi. मैं/हम यह समझते और सहमति व्यक्त करते हैं कि यह स्थायी निर्देश ऋण की संपूर्ण अवधि तक, या तब तक प्रभावी रहेगा जब तक ऋण से संबंधित सभी देय राशियाँ पूर्णतः चुका दी जाएँ और ऋण खाता बंद न हो जाए — जो भी स्थिति बाद में घटित हो।

xii. मैं/हम यह पुष्टि करते हैं कि

- नियत तिथियों पर उपरोक्त उल्लिखित खाते में पर्याप्त राशि रखी जाएगी, जिससे स्थायी निर्देश का सफल निष्पादन हो सके।
- यदि अपर्याप्त धनराशि या किसी अन्य कारणवश लेन-देन असफल होता है, तो मैं/हम ऋण अनुबंध की शर्तों के अनुसार लागू दंडात्मक शुल्क के लिए उत्तरदायी होंगे।
- यह निर्देश आरबीएल बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना न तो निरस्त किया जा सकेगा और न ही संशोधित किया जा सकेगा।
- ऐसा कोई भी निरस्तीकरण केवल तभी प्रभावी होगा जब ऋण से संबंधित सभी बकाया देयताएँ पूर्णतः चुका दी जाएँगी।

xiii. मैं/हम स्वीकार करता/करती हूँ कि यह स्थायी निर्देश मैंने/हमने अपनी इच्छा से स्वेच्छा से प्रदान किया है, तथा यदि बैंक ने सद्भावना के साथ कार्य किया है, तो इस निर्देश के क्रियान्वयन से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए मैं/हम आरबीएल बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएँगे।

xiv. मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि

(क) आवश्यकता पड़ने पर मैं आरबीएल बैंक को अतिरिक्त दस्तावेज़ उपलब्ध कराऊँगा/कराऊँगी।

(ख) मैं इस ऋण का उपयोग किसी भी रूप में सोना खरीदने के लिए नहीं करूँगा/करूँगी, जिसमें प्राथमिक सोना, सोने की ईंटें, सोने के आभूषण, सोने के सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड की इकाइयाँ अथवा गोल्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ शामिल हैं।

(ग) मैं इस ऋण का उपयोग किसी भी लघु बचत साधन (जैसे किसान विकास पत्र अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के अधिग्रहण हेतु नहीं करूँगा/करूँगी।

(घ) मैं इस ऋण का उपयोग पूंजी बाज़ार साधनों में निवेश, सट्टा, अवैध या सामाजिक रूप से अनुचित कार्यों हेतु, अथवा ऐसे नए इकाइयों में निवेश हेतु नहीं करूँगा/करूँगी जो ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन या उपभोग करती हैं, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करने वाली एरोसोल इकाइयाँ हैं।

xv. मैं समझता/समझती हूँ कि ऋण स्वीकृति का निर्णय एक क्रेडिट मॉडल पर आधारित है, जिसमें मेरे क्रेडिट इतिहास, भुगतान रिकॉर्ड, बैंकिंग आदतें, व्यवसायिक स्थिरता एवं नकदी प्रवाह जैसे कारक शामिल हैं, जिनका मूल्यांकन व्यक्तिगत चर्चा एवं दस्तावेज़ों के माध्यम से किया जाता है।

xvi. मुझे/हमें बैंक या उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा ऋण राशि, स्वीकृति प्रक्रिया या किसी रियायत/छूट के संबंध में कोई आश्वासन या वादा नहीं किया गया है। साथ ही, मैंने/हमने इस ऋण आवेदन के साथ या उसके संबंध में बैंक के किसी प्रतिनिधि या किसी तीसरे पक्ष को नकद, धारक चेक या किसी अन्य रूप में कोई भुगतान नहीं किया है।

xvii. मैं आरबीएल बैंक को अधिकृत करता/करती हूँ;

(क) मेरे/हमारे आवेदन की प्रक्रिया के दौरान मेरे/हमारे आधार संख्या का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण वैध व्यवसायिक प्रयोजनों हेतु करने के लिए।

(ख) आवश्यकता पड़ने पर मेरे आधार से संबंधित विवरण/जानकारी नियामक अथवा वैधानिक प्राधिकरणों के साथ साझा करने के लिए।

xviii. मैं/हम पुष्टि करता/करती हूँ कि मुझ पर/हम पर कोई वैधानिक या कानूनी अक्षमता नहीं है तथा मैं/हम विधिक रूप से वैध अनुबंध करने में सक्षम हैं। यदि उधारकर्ता कोई प्राकृतिक व्यक्ति है, तो वह बालिग, स्वस्थ मानसिक स्थिति वाला एवं अनुबंध करने में सक्षम है।

xix. मैं/हमारे पास ऊपर उल्लिखित ग्राहक आईडी के अतिरिक्त कोई अन्य ग्राहक आईडी नहीं है। यदि बाद में अन्य ग्राहक आईडी पाई जाती है, तो आरबीएल बैंक बिना पूर्व सूचना दिए सभी ग्राहक आईडी को एकल ग्राहक आईडी के अंतर्गत समेकित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

xix. बैंक के विवेकानुसार, वह सभी ग्राहक पहचान संख्याओं को एकल ग्राहक पहचान संख्या के अंतर्गत समेकित कर सकता है, जिसके लिए मुझे/हमें पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।

xx. मैं/हम सहमति देता/देती हूँ कि आरबीएल बैंक समय-समय पर मेरे/हमारे आवेदन की स्थिति, खाते की गतिविधि, सेवा संबंधी कॉल (जिसमें वसूली, परामर्श और सूचनात्मक संदेश शामिल हैं), नियामक अद्यतन या उत्पाद संबंधी संदेश/कॉल मेरे/हमारे पंजीकृत मोबाइल नंबर/टेलीफोन नंबर पर भेज/कर सकता है।

xxi. मैं/हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा अनुसार, केवाईसी (KYC) प्रयोजनों हेतु यूआईडीएआई (UIDAI) द्वारा परिभाषित बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण या ऑफ़लाइन सत्यापन विधि के माध्यम से अपनी पहचान/पते की पुष्टि के लिए आरबीएल बैंक को अधिकृत करता/करती हूँ।

xxii. मैं आगे आरबीएल बैंक को अधिकृत करता/करती हूँ कि वह मेरे आधार नंबर और/या बायोमेट्रिक/जनसांख्यिकीय जानकारी का उपयोग कर यूआईडीएआई से मेरी जानकारी का सत्यापन करे। मैं समझता/समझती हूँ कि इस प्रक्रिया में आरबीएल बैंक यूआईडीएआई से डेटा प्राप्त करेगा।

xxiii. मैं/हम सहमति देता/देती हूँ कि आरबीएल बैंक मेरे/हमारे आवेदन पत्र में दिए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (CKYC) से प्राप्त सूचनाएँ एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से भेज सके। मैं/हम यह भी सहमति देता/देती हूँ कि आरबीएल बैंक मेरे केवाईसी अभिलेख (KYC Records) को केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (CKYCR) से डाउनलोड करके मेरी पहचान एवं पते का सत्यापन कर सके। मैं/हम समझते/समझती हूँ/हैं कि मेरे/हमारे केवाईसी अभिलेख में मेरा/हमारा नाम, पता, जन्मतिथि, पैन नंबर आदि व्यक्तिगत जानकारी शामिल है।

xxiv. (काले मनकों/ब्लैक बीड्स वाली चेन जमा करने के संबंध में घोषणा — सोने के गहनों पर ऋण हेतु)मैं/हम पुष्टि करता/करती हूँ/हैं कि मैंने/हमने काले मनकों/ब्लैक बीड्स वाली चेन तथा अन्य आभूषण बैंक में जमा कराकर सोने के गहनों पर ऋण प्राप्त किया/किया है और यह जमा मेरी/हमारी सहमति से किया गया है। यदि इस ऋण सुविधा के संबंध में डिफॉल्ट होता है, तो मैं/हम बैंक को अधिकृत/अनुमति देता/देती हूँ/हैं कि बैंक उक्त चेन व अन्य जमा आभूषणों की नीलामी कर सके, जैसा कि ऋण की शर्तों में वर्णित है; मुझे/हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

किसी भी पूछताछ या स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें।:

24 घंटे ग्राहक सेवा : +91 22 6232 7777 • ईमेल : customercare@rbl.bank.in **• वेबसाइट :** www.rbl.bank.in

RBL BANK
apno ka bank

सोने के गहनों पर ऋण आवेदन पत्र

सोने के गहनों पर ऋण हेतु घोषणा एवं नियम और शर्तें

आरबीएल बैंक लिमिटेड एक कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 1913 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत है और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अस्तित्व में मानी जाती है (जिसे आगे "आरबीएल बैंक" कहा गया है)। ऋणकर्ता और सह-ऋणकर्ता (यदि कोई हो) (संयुक्त रूप से आगे "ऋणकर्ता" कहलाएंगे) के अनुरोध पर, आरबीएल बैंक समय-समय पर एक या एक से अधिक ऋण सुविधाएँ ("ऋण") स्वीकृत / प्रदान कर सकता है, जो आवेदन पत्र में उल्लिखित इन नियमों, शर्तों और अनुबंधों ("नियम और शर्तें") द्वारा संचालित होंगी। आरबीएल बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने / स्वीकृत करने की सहमति के परिप्रेक्ष्य में, ऋणकर्ता बिना किसी शर्त के आरबीएल बैंक को निम्नलिखित के अनुसार अपनी स्वीकृति एवं पुष्टि प्रदान करता/करते हैं

1. इस आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारियाँ / विवरण सत्य और पूर्ण हैं तथा किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को न तो छिपाया गया है और न ही रोका गया है। ऋणकर्ता यह स्वीकार करता/करते हैं कि आरबीएल बैंक ऋणकर्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत या त्रुटिपूर्ण जानकारी से उत्पन्न परिणामों के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा, और ऐसी किसी भी स्थिति के लिए संपूर्ण उत्तरदायित्व केवल ऋणकर्ता का होगा। ऋणकर्ता द्वारा आरबीएल बैंक को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह आवश्यकता अनुसार और अपनी विवेकानुसार किसी भी समय ऋणकर्ता की क्रेडिट जांच कर सके। आरबीएल बैंक, अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार, आवेदन पत्र में मेरे/हमारे द्वारा निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु उतनी राशि का ऋण स्वीकृत कर सकता है जितना वह उपयुक्त समझे। मुझे/हमें प्रदान किए जाने वाले ऋण की राशि समय-समय पर आरबीएल बैंक की आंतरिक नीतियों पर निर्भर करेगी।ऋण की वह राशि, जिस पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बकाया शुल्क तथा अन्य देय शुल्क सम्मिलित हों, जिन्हें मुझे/हमें बैंक को भुगतान करना है, उन्हें सामूहिक रूप से आगे "देय राशि" (Dues) कहा जाएगा।
2. ऋणकर्ता आवेदन पत्र में वर्णित सोने के गहने (जिसे आगे "सोने कि वस्तुएँ (Gold Articles)" कहा गया है) का एकमात्र और पूर्ण स्वामी है। ऋणकर्ता उक्त स्वर्ण वस्तुओं पर आरबीएल बैंक के पक्ष में प्रथम और विशिष्ट गिरवी अधिकार (first and exclusive charge) स्थापित करेगा, जिसके लिए वह इन्हें आरबीएल बैंक के पास गिरवी रूप में जमा करेगा। ये सोने कि वस्तुएँ बैंक के पास तब तक जमा रहेंगी जब तक कि ऋणकर्ता द्वारा बैंक के प्रति इस ऋण से संबंधित सभी देय राशि ("Gold Security") पूर्ण रूप से चुकता नहीं कर दी जाती। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि सोने कि वस्तुओं में जड़े हुए रत्न या कीमती पत्थर ऋण के मूल्यांकन के उद्देश्य से नहीं आँके जाएँगे, अतः आरबीएल बैंक उनके लिए कोई मूल्य निर्धारित नहीं करेगा। इस गिरवी सुरक्षा की वैधता तब तक बनी रहेगी जब तक ऋण से संबंधित सभी देय धनराशि पूर्ण रूप से चुका दी जाए,, ऋण की सभी शर्तों का पालन कर लिया जाए तथा ऋणकर्ता द्वारा ऋण से संबंधित सभी दायित्वों का निर्वहन हो जाए। ऋणकर्ता यह पुष्टि करता/करते हैं कि बैंक के पास गिरवी के रूप में जमा की गई / की जाने वाली सोने कि वस्तुओं पर उसका स्वामित्व वैध, निर्विवाद और अप्रमाद्य है; उन पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई दावा, अधिकार, बंधक या गिरवी नहीं है। ये सोने कि वस्तुएँ ऋणकर्ता द्वारा वैध एवं वास्तविक स्रोतों से अर्जित की गई हैं, शुद्ध सोने की बनी हैं और ऋणकर्ता की वैध संपत्ति हैं।
3. उधारकर्ता यह सहमति देता/देते हैं, यह वचन देता/देते हैं और यह घोषणा करता/करते हैं कि – i) ऋण अथवा अग्रिम राशि आवेदन पत्र में उल्लिखित उद्देश्य के लिए ही स्वीकृत की गई है और इसे केवल उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा, किसी अन्य उद्देश्य, अवैध या सट्टा गतिविधि के लिए नहीं। उधारकर्ता यह भी सुनिश्चित करता/करते हैं कि ऋण की स्वीकृति से संबंधित सभी नियमों एवं शर्तों का पूर्णतः पालन किया जाएगा तथा उधारकर्ता को इन नियमों और शर्तों में प्रवेश करने एवं आरबीएल बैंक के पक्ष में सोने की वस्तुओं (Gold Articles) पर सुरक्षा हित (Security Interest) सृजित करने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है। उक्त सोने की वस्तुओं पर किसी अन्य व्यक्ति या संस्था का किसी भी प्रकार का स्वामित्व, उपयोग या नियंत्रण का अधिकार वास्तविक या सशर्त रूप से नहीं है। (ii) यदि उधारकर्ता हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) का सदस्य/सदस्यगण है/हैं, तो गिरवी रखी गई सोने की वस्तुएँ उधारकर्ता की व्यक्तिगत संपत्ति का हिस्सा हैं और उक्त HUF की संयुक्त संपत्ति का हिस्सा नहीं हैं। (iii) उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के विरुद्ध किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण (न्यायिक, अर्द्ध-न्यायिक या प्रशासनिक) के समक्ष ऐसा कोई वाद, कार्यवाही या मामला लंबित नहीं है जो इन नियमों एवं शर्तों के तहत उधारकर्ता की दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित कर सके। (iv) उधारकर्ता प्रशासनिक शुल्क, कर, डाक, कुरियर, स्टाम्प शुल्क, या अन्य शुल्क जो आरबीएल बैंक ने उधारकर्ता की ओर से अदा किए हों, उन सभी का भुगतान/प्रतिपूर्ति करेगा/करेंगे। (v) उधारकर्ता आवेदन पत्र में दिए गए अपने पते / फोन नंबर में किसी भी परिवर्तन की तत्काल सूचना आरबीएल बैंक को देगा/देंगे। (vi) उधारकर्ता यह घोषणा करता/करते हैं कि आवेदन पत्र और उसके परिशिष्टों सहित आरबीएल बैंक को प्रदान की गई सभी सूचनाएँ और आँकड़े पूर्णतः सत्य एवं सही हैं। (vii) उधारकर्ता उन सभी व्ययों, शुल्कों और खर्चों का भुगतान करेगा/करेंगे जो किसी भी प्रकार से आरबीएल बैंक द्वारा वहन किए गए हों — जिनमें यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, कर, जुर्माने या अन्य देयक शामिल हैं। यदि उधारकर्ता द्वारा ऐसे किसी शुल्क या कर का भुगतान न किया गया हो, तो आरबीएल बैंक अपनी इच्छा अनुसार (परंतु बाध्य नहीं) इनका भुगतान कर सकता है और उधारकर्ता बैंक द्वारा भुगतान की गई राशि को उसी ब्याज दर पर (जैसा डिफ़ॉल्ट किस्तों पर लागू है) मासिक आधार पर ब्याज सहित बैंक को लौटाएगा/लौटाएँगे। (viii) उधारकर्ता निरीक्षण शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क तथा ऋण से संबंधित सभी अन्य लागू शुल्कों का भुगतान करेगा/करेंगे। (ix) उधारकर्ता/उधारकर्ता सभी प्रकार के करों, शुल्कों, उपकरों, वस्तु एवं सेवा कर (GST) आदि का भुगतान ऋण से संबंधित लेन-देन के संदर्भ में करेगा/करेंगे।
4. उधारकर्ता ऋण वितरण की तिथि से ऋण राशि पर उस ब्याज दर, तिथियों और अवधियों के अनुसार ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा/होंगे, जैसा कि बैंक द्वारा प्रतिज्ञा पत्र में निर्दिष्ट किया गया है। यहाँ या अन्यत्र कुछ भी उल्लिखित होने के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा देय ब्याज दर भारतीय रिज़र्व बैंक ("RBI") द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन होगी। उधारकर्ता यह भी सहमत है कि आरबीएल बैंक को अपने आंतरिक नीतिगत निर्णयों के आधार पर ब्याज दर, अतिरिक्त ब्याज दर, तथा ब्याज वसूलने की अवधि आदि में ऊपर या नीचे संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होगा, और बैंक का यह निर्णय अंतिम एवं उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा। यदि बैंक द्वारा ब्याज के भुगतान की विधि, तरीका या अवधि में या ब्याज राशि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन / संशोधन किया जाता है। जिसमें धारा 7 के अनुसार स्वीकृत किसी वृद्धि के कारण उत्पन्न परिवर्तन भी शामिल है। तो उधारकर्ता बैंक की मांग पर संशोधित ईसीएस / एसआई जनादेश / पीडीसी प्रस्तुत करेगा/करेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि यदि ऋण का वितरण किसी माह की 27 तारीख के बाद किया जाता है, तो उस ऋण पर ब्याज अगले माह की 27 तारीख को तथा प्रत्येक आगामी माह की 27 तारीख को देय होगा। ब्याज / शुल्क प्रतिदिन के आधार पर संचित होंगे और इनकी गणना 360 दिनों के वर्ष तथा वास्तविक बीते हुए दिनों की संख्या के आधार पर की जाएगी।
5. यदि ऋण का पुनर्भुगतान ऋण की परिपक्वता (जहाँ ऋण की परिपक्वता का अर्थ ऋण की अवधि की समाप्ति से है) पर या ऋण की पूर्व समाप्ति (जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है) पर देय होता है, तो ऐसी स्थिति में उधारकर्ता परिपक्वता के समय बैंक को ब्याज तथा अन्य सभी बकाया देय राशि का भुगतान करेगा/करेंगी।
6. यदि ऋण की अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान/सेवा की जानी हो तथा मूलधन का पुनर्भुगतान ऋण की परिपक्वता पर किया जाना हो, तो उधारकर्ता ऋण अवधि के दौरान गिरवी पर्ची में निर्दिष्ट नियत तिथियों पर मूलधन पर देय ब्याज का भुगतान/पुनर्भुगतान करेगा/करेंगी। यह शर्त रहते हुए कि बैंक को यह अधिकार होगा कि वह किसी ऐसी परिस्थिति के उत्पन्न होने पर, जो बैंक की राय में ब्याज की पुनर्गणना या संशोधन आवश्यक बनाती हो, ब्याज की राशि तथा उसके भुगतान की तिथियों का पुनर्निर्धारण या संशोधन कर सके। ऐसे किसी भी संशोधन की स्थिति में, उधारकर्ता सहमत है और यह वचन देता/देती है कि वह बैंक की आवश्यकता अनुसार नए पूर्व-तिथि चेक (PDCs), चेक, स्थायी निर्देश या डेबिट प्राधिकरण जारी करेगा/करेंगी। मैं/हम यह सहमति और पुष्टि करता/करती हूँ कि ऋण एवं ब्याज के पुनर्भुगतान/भुगतान हेतु उपयुक्त ईएमआई निर्धारित करने के लिए उपर्युक्त व्यवस्था स्वीकार करता/करती हूँ।
7. बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर और अपनी निर्धारित शर्तों जैसे पूर्व-भुगतान शुल्क आदि के अनुसार, उधारकर्ता के अनुरोध पर ऋण के पूर्व-भुगतान या शीघ्र भुगतान की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि बैंक समय-समय पर ऋण के पूर्व-भुगतान या शीघ्र भुगतान हेतु देय न्यूनतम राशि निर्धारित कर सकता है। यदि बैंक द्वारा अनुमति दी जाती है, तो उधारकर्ता को ऋण की संपूर्ण राशि का पूर्व-भुगतान करने के अपने इरादे की पूर्व में लिखित सूचना बैंक को देनी होगी तथा बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए पूर्व-भुगतान शुल्क का भुगतान ऋणदाता को करना होगा।
8. यदि बैंक किसी आंशिक पूर्व-भुगतान की अनुमति देता है, तो उधारकर्ता के अनुरोध पर बैंक पुनर्भुगतान अनुसूची में परिवर्तन कर सकता है और उधारकर्ता इस परिवर्तित पुनर्भुगतान अनुसूची का पालन करने के लिए सहमत रहेगा।
9. यदि सोने की वस्तुओं (Gold Security) का मूल्य आरबीएल बैंक द्वारा निर्धारित आवश्यक मार्जिन से नीचे गिर जाता है (चाहे वह सोने के बाजार मूल्य में गिरावट, ऑडिट या किसी अन्य कारण से हो), तो उधारकर्ता बैंक से सूचना प्राप्त होते ही या तो: (i) आरबीएल बैंक द्वारा माँगी गई अतिरिक्त सुरक्षा जमा करेगा, या (ii) बकाया राशि सहित, यदि लागू हो तो, पूर्व-भुगतान शुल्क का भुगतान करेगा। उधारकर्ता को बैंक की सूचना **("अल्पता सूचना (Shortfall Notice)")** की तिथि से 2 दिनों के भीतर उपरोक्त में से कोई एक कार्रवाई पूरी करनी होगी। यदि उधारकर्ता आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने या बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो इसे इन नियमों और शर्तों के अंतर्गत **डिफ़ॉल्ट की घटना (Event of Default)** माना जाएगा और बैंक अपने एकमात्र विवेकाधिकार से, बिना किसी अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता के, निम्नलिखित कार्यवाही कर सकता है: (i) बैंक में उधारकर्ता द्वारा रखे गए किसी भी खाते (जिसमें सावधि जमा आदि शामिल हैं) से राशि डेबिट करना, और/या (ii) ऐसे खातों से कोई भी धनराशि समायोजित करना (जिसमें सावधि जमा का समयपूर्व परिपक्वकरण शामिल है), और/या (iii) सोने की वस्तुओं को बेच देना या उसका निपटान करना, बिना किसी हानि, क्षति या मूल्य में गिरावट के लिए उत्तरदायी हुए, और प्राप्त राशि को उधारकर्ता की बकाया देय राशि के समायोजन हेतु प्रयोग करना। यह अल्पता सूचना , भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 176 के अंतर्गत गिरवी के प्रवर्तन और सोने की वस्तुओं की बिक्री के लिए औपचारिक सूचना मानी जाएगी। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि यह सूचना अवधि युक्तिसंगत, पर्याप्त और उपयुक्त है।
10. उधारकर्ता यह स्वीकार करता/करती है कि ऋण की स्वीकृति तथा उसकी निरंतरता के लिए, पुनर्भुगतान अनुसूची का पूर्णतः पालन करना, बिना किसी चूक के, एक अत्यावश्यक शर्त है तथा इस लेन-देन में समय का अत्यधिक महत्व है। यदि कोई भुगतान नियत तिथि से पूर्व किया जाता है, तो ऐसे भुगतान का लेखा केवल नियत तिथि को अथवा साधन के साकार होने की तिथि में से जो भी बाद में हो, उसी दिन दिया जाएगा। यदि उधारकर्ता ऋण या ब्याज या ऋण से संबंधित किसी अन्य देय राशि के पुनर्भुगतान में चूक करता/करती है, तो वह नियत तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक अवितरित राशि पर विलंब शुल्क देने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी। यह विलंब शुल्क उन सभी अन्य शुल्कों के अतिरिक्त होगा, जिनका भुगतान उधारकर्ता को ऋण की शर्तों के अनुसार आरबीएल बैंक को करना अनिवार्य है। उधारकर्ता आरबीएल बैंक को निम्नलिखित सभी शुल्कों, करों तथा व्ययों का वहन, भुगतान तथा प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य रहेगा/रहेगी—(क) चेक का अस्वीकार, चेक पुनर्प्रस्तुति , प्रशासनिक शुल्क, लागू कर तथा अधिभार , स्टांप शुल्क अथवा समय-समय पर सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा लगाए गए किसी भी प्रकार के अन्य शुल्क; (ख) ऋण के आवेदन, स्वीकृति तथा पुनर्भुगतान से संबंधित सभी व्यय; (ग) ऋण की वसूली तथा ब्याज सहित उसकी प्राप्ति ; (घ) गिरवी रखे सोना के प्रवर्तन से संबंधित व्यय; (च) गिरवी रखे सोना पर बकाया सभी करों, शुल्कों या अधिभारों की निकासी ;(छ) सोने की वस्तुओं का बीमा। (ज) उधारकर्ता को मूल प्रतिज्ञा कार्ड लेकर ऋण मूलधन/ब्याज का भुगतान करना होगा तथा अंतिम भुगतान/मोचन के समय उक्त प्रतिज्ञा कार्ड आरबीएल बैंक को समर्पित करना आवश्यक होगा। (झ) मूल प्रतिज्ञा कार्ड प्रस्तुत किए बिना गिरवी रखी सोने का मोचन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रतिज्ञा कार्ड की हानि या उसके किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग के लिए आरबीएल बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। (ञ) उधारकर्ता को प्रतिज्ञा कार्ड में निर्दिष्ट सभी शुल्कों का भुगतान करना होगा तथा ऐसे सभी शुल्क समय-समय पर बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार परिवर्तित किए जा सकते हैं। (ट) उधारकर्ता की दायित्विता किसी भी प्रकार के संशोधन, परिसमापन , दिवालियापन , पुनर्गठन अथवा किसी समान प्रक्रिया, या उधारकर्ता के दिवालिया/अदायगी-अक्षम होने की स्थिति में समाप्त या प्रभावित नहीं होगी। यह दायित्व पूर्ण प्रभाव में यथावत रहेगा तथा उधारकर्ता के उत्तराधिकारी पर बाध्यकारी होगा।

11. एसएमए/एनपीए वर्गीकरण:
उधारकर्ता खातों का एसएमए तथा एनपीए के रूप में वर्गीकरण संबंधित तिथि के दिनांत प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। एसएमए/एनपीए की तिथि उस खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति को उस कैलेंडर तिथि के दिनांत में प्रदर्शित करेगी।

ऋण पुनर्समाधान सुविधाओं को छोड़कर:	
एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार – मूलधन, ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्ण या आंशिक रूप से बकाया
एसएमए - 0	30 दिनों तक बकाया
एसएमए - 1	30 दिनों से अधिक तथा 60 दिनों तक बकाया
एसएमए - 2	60 दिनों से अधिक तथा 90 दिनों तक बकाया
एनपीए	90 दिनों से अधिक बकाया

उदाहरण

यदि किसी ऋण खाते की नियत तिथि 31 मार्च, 2021 है, और इस तिथि से पूर्व पूर्ण देय राशि प्राप्त नहीं होती है, तो 31 मार्च, 2021 को वह खाता बकाया माना जाएगा। यदि यह खाता लगातार बकाया रहता है, तो यह 30 अप्रैल, 2021 को, अर्थात 30 दिन तक निरंतर बकाया रहने के पश्चात, एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अतः उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2021 मानी जाएगी। इसी प्रकार, यदि खाता आगे भी बकाया रहता है, तो उसे 30 मई, 2021 को एसएमए-2 तथा निरंतर बकाया रहने पर 29 जून, 2021 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एनपीए खातों का उन्नयन : ऐसे उधारकर्ता खाता/खातों, जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को केवल तभी 'मानक परिसंपत्ति ' के रूप में उन्नत किया जाएगा जब उधारकर्ता द्वारा संपूर्ण बकाया ब्याज एवं मूलधन राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया हो।

उधारकर्ता यह पुष्टि एवं घोषणा करता/करती है कि उसने उपर्युक्त प्रावधानों को पूर्ण रूप से समझ लिया है और सहमत है कि उसके खाते के वर्गीकरण के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देश ही प्रभावी एवं बाध्यकारी रहेंगे।

12. ऋण राशि का वितरण उधारकर्ता को सभी प्रारंभिक भुगतानों जैसे प्रशासनिक शुल्क , प्रीमियम, लेन-देन/प्रोसेसिंग शुल्क , अग्रिम ब्याज आदि की कटौती के पश्चात शुद्ध रूप से किया जाएगा। आरबीएल बैंक अपने विवेकाधिकार पर ऋण राशि का वितरण नकद रूप में अथवा आरबीएल बैंक खाते के माध्यम से कर सकता है। इन नियमों एवं शर्तों से सहमति प्रदान करने पर, उधारकर्ता द्वारा ऋण प्राप्ति की पुष्टि मानी जाएगी।यदि ऋण राशि का वितरण चेक, पे ऑर्डर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (NEFT / RTGS / IMPS) के द्वारा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऋण वितरण की तिथि वही मानी जाएगी जिस दिन चेक या पे ऑर्डर जारी किया गया हो, अथवा NEFT/RTGS/IMPS लेन-देन की वास्तविक तिथि हो, जैसा लागू हो। उधारकर्ता द्वारा आरबीएल बैंक को यह अधिकृत किया जाता है कि वह आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरणों के अनुसार RTGS / NEFT / IMPS लेन-देन सम्पन्न करे। उधारकर्ता यह समझता/समझती है कि RTGS / NEFT / IMPS अनुरोध भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अधीन होगा। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता/करती है कि यदि उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए विवरणों में किसी प्रकार की त्रुटि या अशुद्धि पाई जाती है, तो उससे उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

13. आरबीएल बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि बैंक ने उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई सोने की वस्तुओं की शुद्धता या गुणवत्ता को प्रमाणित या स्वीकृत किया है। यदि आरबीएल बैंक यह पाता है कि गिरवी रखी गई सोने की वस्तुएँ बैंक द्वारा ऋण हेतु निर्धारित आवश्यक गुणवत्ता या शुद्धता मानकों को पूरा नहीं करती हैं या वे नकली / संदिग्ध प्रकृति की हैं, तो उधारकर्ता आरबीएल बैंक के ऐसे निष्कर्षों से बाध्य रहेगा/रहेगी और बैंक को हुई हानि की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी। यदि उधारकर्ता द्वारा हानि की पूर्ति नहीं की जाती है, तो आरबीएल बैंक को ऐसी हानि की वसूली के लिए उचित कानूनी कार्यवाही आरंभ करने का अधिकार रहेगा।

14. उधारकर्ता सहमत है कि आरबीएल बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बैंक के विवेकानुसार किसी भी समय, जब तक बैंक के प्रति कोई देय राशि शेष है, सोने की गिरवी संपार्श्विक की गुणवत्ता, शुद्धता एवं मूल्य के संबंध में जाँच, निरीक्षण और/या लेखा-परीक्षा कर सके। ऐसी जाँच या लेखा-परीक्षा बैंक द्वारा उधारकर्ता के व्यय पर, बिना किसी पूर्व सूचना तथा उधारकर्ता की उपस्थिति के बिना की जा सकती है, जिसमें बैंक को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यक समझे जाने पर गोल्ड सुरक्षा के पैकेटों या सील को खोलकर भी जाँच कर सके। बैंक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस संबंध में किसी भी विशेषज्ञ या मूल्यांकक की सेवाएँ ले सके तथा उनके परामर्श पर कार्यवाही कर सके। उधारकर्ता इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति न करने के लिए सहमत है और ऐसी किसी आपत्ति का परित्याग करता/करती है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपने विवेकाधिकार पर, किसी भी समय उधारकर्ता से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह ऋण के अंतर्गत बैंक के प्रति अपने दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गारंटी प्रस्तुत करे। उधारकर्ता ऐसे किसी भी गारंटर द्वारा गारंटी प्राप्त करने के लिए सहमत है, जैसा बैंक उपयुक्त समझे जिसमें, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, किसी मूल्यांकक या परखकर्ता द्वारा दी गई गारंटी भी सम्मिलित हो सकती है।

15. बैंक द्वारा अपने ऑडिट के परिणामस्वरूप प्राप्त निष्कर्ष, जिनमें गिरवी रखे सोना की गुणवत्ता, शुद्धता या मूल्य से संबंधित कोई भी विशेष निष्कर्ष शामिल हों, उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होंगे और उधारकर्ता किसी भी प्रकार से उनका विवाद नहीं करेगा। उधारकर्ता, आरबीएल बैंक द्वारा ऐसे ऑडिट के पश्चात आवश्यक माने गए सभी कार्य करेगा। उधारकर्ता यह स्वीकार करता है और सहमत है कि यदि वह बैंक के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है और/या यदि आरबीएल बैंक द्वारा यह पाया जाता है कि सोने की सुरक्षा असली नहीं है या उसके मूल्य, गुणवत्ता या शुद्धता को लेकर विवाद है, तो यह डिफॉल्ट की स्थिति मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में बैंक को ऋण, उस पर देय ब्याज तथा अन्य सभी देयों की तत्काल वसूली का अधिकार होगा, साथ ही बैंक को सोने की सुरक्षा पर गिरवी अधिकार लागू करने का भी अधिकार प्राप्त होगा।

16. उधारकर्ता इस बात से सहमत है और बैंक तथा/या उसके नियामकों या बैंक तथा/या उसके नियामकों द्वारा नियुक्त किसी भी तृतीय पक्ष को अधिकृत करता है कि वे उधारकर्ता के परिसर, खातों की पुस्तकों तथा उक्त सोने की सुरक्षा का निरीक्षण कर सकते हैं। उधारकर्ता बैंक, उसके नियामकों या उनके द्वारा नियुक्त तृतीय पक्षों द्वारा इस उद्देश्य हेतु किए गए सभी खर्चों और व्ययों की प्रतिपूर्ति करेगा। यदि ऐसे ऑडिट के लिए तैयार की गई रिपोर्ट उधारकर्ता के असहयोग के कारण निष्कर्षहीन रह जाती है या उसमें विलंब होता है, तो ऋणदाता को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह उपलब्ध सूचनाओं के अपने मूल्यांकन के आधार पर संबंधित ऋण खाते/सुविधा की स्थिति का निर्णय स्वयं करे।

17. आरबीएल बैंक को यह पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा कि यदि उसके मतानुसार कोई डिफॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हो गई है या होने की संभावना है, या यदि बैंक के लिए उधारकर्ता को ऋण देना या जारी रखना अवैध हो गया है, अथवा उधारकर्ता के लिए इन नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करना अवैध हो गया है, तो वह बिना किसी पूर्व सूचना के ऋण को रद्द कर सकता है, समाप्त कर सकता है और संपूर्ण देय राशि की तत्काल वसूली कर सकता है। आरबीएल बैंक द्वारा ऋण वितरण किए जाने के पश्चात, उधारकर्ता को ऋण को रद्द करने या समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। उधारकर्ता के संबंध में, ये नियम एवं शर्तें पूर्ण प्रभाव में तब तक बनी रहेंगी जब तक ऋण खाता पूर्ण रूप से बंद नहीं हो जाता और सभी बकाया राशि का निपटान नहीं हो जाता। इसके अतिरिक्त, इन शर्तों को किसी अन्य दस्तावेज के निष्पादन के कारण न तो मिलाया हुआ और न ही संशोधित या परिवर्तित माना जाएगा।

18. यदि आरबीएल बैंक की लापरवाही या चोरी के कारण सोने की वस्तुओं की हानि होती है, तो बैंक की जिम्मेदारी केवल उन सोने की वस्तुओं के शुद्ध भार तक सीमित होगी, जैसा कि गिरवी कार्ड में उल्लिखित है। ऐसी स्थिति में, आरबीएल बैंक मूलधन, ब्याज और अन्य शुल्कों को समायोजित करने के बाद शेष अंतर राशि का भुगतान करेगा या दावा करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। यदि गिरवी रखी गई सोने की वस्तुओं में कोई बहुमूल्य रत्न जड़े हों, तो आरबीएल बैंक की जिम्मेदारी केवल सोने के भार तक सीमित होगी। गिरवी रखी गई सोने की वस्तुएँ उधारकर्ता के जोखिम पर बैंक के सुरक्षित तिजोरियों में रखी जाएँगी और आरबीएल बैंक सुरक्षा लॉकर/सुरक्षा व्यवस्था की समुचित देखभाल करेगा। तथापि, बैंक किसी भी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा , दंगे, चोरी, आग, या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों से उत्पन्न नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

19. निम्नलिखित घटनाओं को इस अनुबंध के अंतर्गत "डिफॉल्ट की घटनाएँ" माना जाएगा। इनमें से किसी भी घटना के घटित होने पर, उधारकर्ता द्वारा आरबीएल बैंक को देय समस्त राशि तत्काल देय और भुगतान योग्य हो जाएगी तथा आरबीएल बैंक को ऋण की पुनःवसूली , गिरवी रखी सोने की वस्तुओं या अन्य सुरक्षा को लागू करने और उन्हें बेचने का अधिकार प्राप्त होगा:

(क) यदि उधारकर्ता इस अनुबंध या आवेदन पत्र के अंतर्गत अपने किसी दायित्व का पालन करने में विफल रहता है, या ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है जो उधारकर्ता की ऋण अथवा देय राशि का भुगतान करने या अपने किसी दायित्व का निर्वहन करने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

(ख) यदि आवेदन पत्र या इस अनुबंध में उधारकर्ता द्वारा दी गई कोई भी घोषणा, विवरण या वक्तव्य जिसमें गिरवी रखे सोना की गुणवत्ता या मात्रा से संबंधित विवरण भी शामिल हैं असत्य, भ्रामक या गलत पाए जाते हैं।

(ग) यदि आरबीएल बैंक को दी गई सोने की वस्तुएँ नकली पाई जाती हैं या न्यूनतम केरेट अथवा शुद्धता के मानकों को पूरा नहीं करतीं।

(घ) यदि किसी सरकारी, नियामक अथवा न्यायिक प्राधिकरण से बैंक को कोई अटैचमेंट आदेश या लियन संबंधी निर्देश प्राप्त होते हैं।

(च) यदि आरबीएल बैंक के एकमात्र निर्णयानुसार कोई धोखाधड़ी पाई जाती है।

(छ) यदि ऋण के लिए दी गई सोने की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, अप्रभावी हो जाती है, अवैध, अमान्य या अनुपालन योग्य नहीं रहती, या अन्य किसी कारण से उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है।

(ज) यदि उधारकर्ता को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या उस पर दिवालियापन संबंधी कार्यवाही आरंभ होती है।

(झ) यदि उधारकर्ता आरबीएल बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी पूर्व-वितरण शर्त या पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता।

(ञ) यदि उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है, व्यवसाय में विफलता होती है, या किसी भी प्रकार का दिवालियापन संबंधी कार्य या अपराध करता है।

(ट) यदि ऋण की पूरी राशि और उससे संबंधित सभी देयताओं के भुगतान से पहले, उधारकर्ता द्वारा बैंक की लिखित अनुमति के बिना किसी भी ECS, SI मैनडेट/निर्देश या PDC (Post Dated Cheques) अथवा अन्य भुगतान साधन को वापस ले लिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, या उसमें कोई परिवर्तन किया जाता है।

(ठ) यदि उधारकर्ता, बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, गिरवी रखी गई सोने की सुरक्षा पर कोई चार्ज, लियन, मॉर्गेज या अन्य भार (encumbrance) बनाने का प्रयास करता है।

(ड) यदि उधारकर्ता, शर्तों एवं नियमों के अनुसार PDC अस्वीकृति के लिए देय कोई भी शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है।

(ढ) यदि उधारकर्ता द्वारा बैंक में जमा किए गए किसी PDC के लिए, किसी भी कारणवश, भुगतान रोकने का निर्देश दिया जाता है।

20. यदि किसी भी डिफॉल्ट की घटना घटित होती है, तो आरबीएल बैंक लिखित सूचना देकर और इन शर्तों एवं नियमों या किसी अन्य कानून के अंतर्गत उपलब्ध अपने अधिकारों एवं उपायों को प्रभावित किए बिना उधारकर्ता को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी सभी बकाया देय राशि तुरंत चुका दे। साथ ही, आरबीएल बैंक इन शर्तों एवं नियमों के अंतर्गत बनाई गई सोने की सुरक्षा को लागू घोषित कर सकता है। ऐसी स्थिति में, आरबीएल बैंक को यह अधिकार प्राप्त होगा कि (भले ही पूरा ऋण या उसका कोई हिस्सा वापस मंगा लिया गया हो या नहीं), वह अपनी आवश्यकता अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए ताकि गिरवी रखी सोने की सुरक्षा को लागू किया जा सके और उधारकर्ता की सभी बकाया राशि की वसूली की जा सके। इसके अतिरिक्त, आरबीएल बैंक कानून के तहत उपलब्ध अपने अन्य अधिकारों एवं उपायों को प्रभावित किए बिना, उधारकर्ता को 7 (सात) दिन का पूर्व लिखित नोटिस देकर जिसे उधारकर्ता ने उचित सूचना अवधि माना है उधारकर्ता के खर्च पर गिरवी रखी सोने की वस्तुओं को नीलामी या किसी अन्य तरीके से, जैसा बैंक उचित समझे, बेच या निपटान कर सकता है। ऐसी किसी भी बिक्री या निपटान से प्राप्त शुद्ध आय को आरबीएल बैंक उधारकर्ता की बकाया देय राशि के भुगतान / समायोजन में प्रयुक्त कर सकता है।

21. किसी भी डिफॉल्ट की घटना के घटित होने पर, बकाया राशि की वसूली हेतु नियुक्त अधिकृत एजेंट/एजेंसियों के विवरण उधारकर्ता को भुगतान अनुस्मारक संचार के माध्यम से सूचित किए जाएँगे। यदि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो उसका अद्यतन विवरण भी उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा। संग्रह के कार्य हेतु पैनल में शामिल अधिकृत एजेंटों/एजेंसियों की सूची बैंक की वेबसाइट पर संदर्भ हेतु अद्यतन उपलब्ध रहती है।

22. यदि उपर्युक्त बिक्री या निपटान से प्राप्त आय उधारकर्ता की संपूर्ण देय राशि का निपटान करने के लिए अपर्याप्त होती है, तो बैंक (आरबीएल बैंक के अन्य किसी अधिकार को प्रभावित किए बिना) शेष बकाया राशि की वसूली हेतु ऐसे अन्य आवश्यक कदम उठा सकता है, जिन्हें वह उचित समझे। यह स्पष्ट किया जाता है कि आरबीएल बैंक पर यह बाध्यता नहीं होगी कि वह पहले सोने की सुरक्षा को लागू करने या बेचने का उपाय अपनाए, बल्कि बैंक अपनी विवेकानुसार किसी भी समय चाहे वह सोने की सुरक्षा के प्रवर्तन या बिक्री से पहले, साथ-साथ या बाद में हो उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है। यदि एक से अधिक उधारकर्ता हैं, तो सभी उधारकर्ताओं की जिम्मेदारी संयुक्त और व्यक्तिगत होगी। मैं/हम यह भी अधिकृत करते हैं और अपनी सहमति प्रदान करते हैं कि बैंक, बिना किसी अतिरिक्त दायित्व के और बिना किसी पूर्व सूचना के, मेरे/हमारे नाम, डिफॉल्ट का विवरण, ऋण और ब्याज की जानकारी, सोने की सुरक्षा से संबंधित विवरण, तथा आवेदन पत्र/संबंधित दस्तावेजों में दी गई जानकारी को, नीलामी, प्रवर्तन या बिक्री के प्रयोजन से सार्वजनिक रूप से या बैंक द्वारा उपयुक्त समझे गए किसी भी व्यक्ति के साथ साझा कर सकता है। मैं/हम इस प्रकार गोपनीयता और अनुबंध की निजता से संबंधित अपने सभी विशेषाधिकारों को त्यागते हैं।

23. आरबीएल बैंक बलपूर्वक आपदा की किसी भी घटना के कारण गिरवी रखी सोने की वस्तुओं को हुई किसी भी क्षति या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इन नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत "बलपूर्वक आपदा" से तात्पर्य ऐसी किसी भी स्थिति या घटना से है जो आरबीएल बैंक के युक्तियुक्त नियंत्रण से परे हो, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, हड़ताल, श्रमिक अशांति, चोरी, डकैती, लूट, सेंधमारी, युद्ध (घोषित या अघोषित), दंगे, विद्रोह, आतंकवादी हमले या आरबीएल बैंक के नियंत्रण से बाहर की अन्य कोई घटना। यह भी स्पष्ट किया जाता है और उधारकर्ता द्वारा सहमति दी जाती है कि आरबीएल बैंक की उत्तरदायित्व तभी उत्पन्न होगी जब गिरवी रखी सोने की वस्तुओं को हुई विनाश, क्षति या हानि सीधे तौर पर आरबीएल बैंक अथवा उसके विधिवत् अधिकृत अधिकारियों या कर्मचारियों के जानबूझकर किए गए कार्य या लापरवाही के कारण हुई हो।

24. यह स्पष्ट किया जाता है कि गिरवी रखी सोने की वस्तुएँ, जो सुरक्षा के रूप में प्रदान की गई हैं, उधारकर्ता की इस ऋण से संबंधित समस्त देयताओं को सुरक्षित करेंगी जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। आरबीएल बैंक के प्रति देय या देय होने वाली कोई भी राशि जैसे ब्याज, अतिदेय शुल्क, विलंब हानि, शुल्क, खर्च और अन्य प्रभार। इनमें वे सभी व्यय भी शामिल होंगे जो आरबीएल बैंक द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किए गए हों — (क) गिरवी रखी सोने की वस्तुओं पर उधारकर्ता के अधिकार, स्वामित्व या हित की रक्षा करने हेतु, या उन पर आरबीएल बैंक अथवा उसके विधिवत् नियुक्त सुरक्षा एजेंट या ट्रस्टी के कब्जे को सुरक्षित रखने हेतु किसी भी तृतीय पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करना; (ख) आवश्यक होने पर किसी अदालत के समक्ष गिरवी रखी सोने की वस्तुओं को प्रस्तुत करना; (ग) गिरवी रखी सोने की वस्तुओं को बेचना; (घ) गिरवी रखी सोने की वस्तुओं का संरक्षण या रख-रखाव करना;(च) आरबीएल बैंक के विवेकानुसार आवश्यक समझे जाने पर गिरवी रखी सोने की वस्तुओं का बीमा करवाना ; (छ) बैंक द्वारा नियुक्त सुरक्षा एजेंट या ट्रस्टी को, यदि कोई हो, आवश्यक भुगतान करना; (ज) गिरवी रखी सोने की वस्तुओं का भंडारण एवं (झ) आवश्यक होने पर उनका परिवहन ; तथा (ञ) ऐसे अन्य सभी शुल्क या व्यय, जिन्हें आरबीएल बैंक अपने एकमात्र विवेक से लागू समझे।

25. यदि गिरवी रखी सोने की वस्तुओं की सुरक्षा को लागू करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो आरबीएल बैंक, सोने की वस्तुओं / सुरक्षा के विक्रय से प्राप्त राशि में किसी भी प्रकार की हानि, कमी या मूल्य में गिरावट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसा विक्रय उधारकर्ता की ओर से आरबीएल बैंक द्वारा किया जाएगा, और बैंक द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग या अप्रयोग किए जाने के कारण उत्पन्न किसी भी हानि, क्षति या मूल्य-ह्रास के लिए आरबीएल बैंक किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। उधारकर्ता को न तो विक्रय की प्रक्रिया या नियमितता पर कोई आपत्ति उठाने का अधिकार होगा, और न ही आरबीएल बैंक उन हानियों के लिए उत्तरदायी या दायित्वपूर्ण होगा, जो ऐसे अधिकारों के प्रयोग के परिणामस्वरूप या बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किसी दलाल , नीलामीकर्ता या अन्य व्यक्ति अथवा संस्था के किसी कार्य या त्रुटि के कारण उत्पन्न हों।

26. यदि आरबीएल बैंक के पास गिरवी रखी गई सोने की वस्तुएँ किसी भी कारणवश किसी वैधानिक प्राधिकरण (जैसे पुलिस विभाग आदि) द्वारा जब्त कर ली जाती हैं या उनकी हिरासत में ली जाती हैं, तो उसके लिए संपूर्ण रूप से उधारकर्ता ही उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता को तुरंत आरबीएल बैंक के प्रति देय संपूर्ण बकाया राशि के साथ-साथ बैंक द्वारा इस संबंध में वहन किए गए सभी शुल्क, व्यय या हानि का भुगतान तत्काल करना होगा।

27. उधारकर्ता स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता और मानता है कि आरबीएल बैंक को — अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए — स्वयं या अपने अधिकारी/कर्मचारियों के माध्यम से अथवा अपनी इच्छा अनुसार किसी या एक से अधिक तृतीय पक्षों (थर्ड पार्टी) को नियुक्त करने तथा उन्हें आवश्यक अधिकार और अधिकारिता प्रदान करने का पूर्ण अधिकार होगा, ताकि वे आरबीएल बैंक की दृष्टि में उपयुक्त समझे जाने वाले सभी कार्य या कदम उठा सकें। इन कार्यों में, परंतु केवल इन्हीं तक सीमित नहीं, ग्राहकों की खोज , सोने की वस्तुओं का भंडारण , सोने की वस्तुओं का मूल्यांकन , ऋण की निगरानी , बकाया राशि की वसूली या प्राप्ति , आरबीएल बैंक की ओर से अवैतनिक राशि की वसूली , या सोने की वस्तुओं/सुरक्षा के प्रवर्तन हेतु कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करना शामिल है। आरबीएल बैंक अथवा नियुक्त तृतीय पक्ष इन कार्यों से संबंधित या उनसे जुड़े सभी कार्य, विलेख, दायित्व या अन्य आवश्यक कार्यवाहियाँ कर सकते हैं, जिनमें उधारकर्ता के कार्यालय या निवास स्थान का दौरा, बकाया राशि की प्राप्ति, या अन्य कोई विधिसम्मत कार्यवाही सम्मिलित है, जो तृतीय पक्ष को उक्त प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्रतीत हो। उधारकर्ता, आरबीएल बैंक, उसके अधिकारी अथवा तृतीय पक्षों को यह अधिकार और सहमति प्रदान करता है कि वे उधारकर्ता से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को आपस में तथा अन्य कंपनियों / संस्थाओं / सहायक कंपनियों / सहयोगी इकाइयों / व्यक्तियों के साथ प्रयोग, प्रकटीकरण, आदान-प्रदान या साझा कर सकते हैं। उधारकर्ता यह भी सहमति देता है कि उपर्युक्त जानकारी के उपयोग या साझा किए जाने के लिए वह आरबीएल बैंक या ऐसे किसी तृतीय पक्ष को किसी प्रकार की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व के लिए बाध्य नहीं ठहराएगा।

28. मैं/हम सहमत हैं कि किसी भी नोटिस (जिसमें सोने की गिरवी सुरक्षा की बिक्री का नोटिस भी शामिल है) को मेरे/हमारे आवेदन पत्र में उल्लिखित पते पर निम्न माध्यमों से भेजा जा सकता है—(क) पंजीकृत ए.डी. द्वारा; (ख) हाथ से सुपुर्द करके; (ग) आवेदन पत्र में उल्लिखित ईमेल पते पर ईमेल द्वारा; (घ) मेरे/हमारे मोबाइल फोन पर शॉर्ट मैसेज सर्विस (SMS) द्वारा; (च) किसी अन्य डाक माध्यम द्वारा; या (छ) कूरियर द्वारा। ऐसी सेवा को निम्न प्रकार से प्रभावी माना जाएगा— पंजीकृत ए.डी. या किसी अन्य डाक माध्यम द्वारा भेजे जाने की स्थिति में, ऐसे पोस्ट किए जाने की तिथि से चौथे दिन पर सेवा प्रभावी मानी जाएगी; हाथ से या कूरियर द्वारा सुपुर्द किए जाने की स्थिति में, जिस दिन इसे सुपुर्द किया गया, उसी दिन सेवा प्रभावी मानी जाएगी; ईमेल द्वारा भेजे जाने की स्थिति में, बैंक को मेल डिलीवरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर सेवा प्रभावी मानी जाएगी; फैक्स द्वारा भेजे जाने की स्थिति में, ट्रांसमिशन रिपोर्ट में प्रेषण की पुष्टि प्राप्त होने पर सेवा प्रभावी मानी जाएगी। यदि इस धारा 26 में निर्दिष्ट एक से अधिक माध्यमों द्वारा नोटिस भेजा गया है, तो जो सबसे पहले प्रभावी हो, वही लागू होगा। मैं/हम यह वचन देता/देते हैं कि मैं/हम अपने डाक पते, ईमेल आईडी, फोन और मोबाइल नंबर में किसी भी परिवर्तन की सूचना हर समय लिखित रूप में बैंक को देंगे और बैंक से उस सूचना की लिखित स्वीकृति प्राप्त करेंगे। बैंक द्वारा उपर्युक्त किसी भी पते, ईमेल आईडी, फोन या मोबाइल नंबर पर भेजा गया कोई भी नोटिस बैंक द्वारा मुझे/हमें दिया गया वैध और विधिसम्मत नोटिस माना जाएगा और उक्तानुसार निर्धारित दिनों/तिथियों पर सेवा पूर्ण मानी जाएगी, चाहे वह किसी भी कारणवश अवितरित लौट आए। ऐसी किसी भी अवितरित स्थिति में बैंक को उपर्युक्त माध्यमों या वैकल्पिक माध्यमों से पुनः नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही डाक विभाग या अन्य माध्यम यह सूचित करें कि मैं/हम उक्त पते पर निवास नहीं कर रहे हैं या उपलब्ध नहीं हैं, या कोई पता या नंबर कार्यरत नहीं है, अमान्य है या मेल नहीं खाता। मैं/हम इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति करने के अधिकारी नहीं होंगे और इस प्रकार के किसी भी पते, ईमेल आईडी, फोन या मोबाइल नंबर के गलत या अपूर्ण होने या उसमें परिवर्तन की सूचना बैंक को पूर्व में न देने की स्थिति में किसी भी आपत्ति के अधिकार का परित्याग करता/करते हैं।

29. उधारकर्ता इस बात के लिए अपनी सहमति प्रदान करता/करते हैं कि आरबीएल बैंक निम्नलिखित संस्थाओं को उधारकर्ता से संबंधित जानकारी और डाटा, उक्त ऋण, उस ऋण के संबंध में उधारकर्ता द्वारा ली गई या ली जाने वाली देयताओं तथा यदि कोई चूक की गई हो तो उससे संबंधित विवरणों का प्रकटीकरण कर सकता है—

    (क) भारतीय रिज़र्व बैंक , क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड ("CIBIL") और आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को;

    (ख) उधारकर्ता विशेष रूप से ऋणदाता (बैंक) को "वित्तीय जानकारी" (financial information) — जैसा कि दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ("Code") की धारा 3(13) में परिभाषित है — का प्रकटीकरण / प्रस्तुतिकरण करने की सहमति देता/देते हैं। यह जानकारी कोड के अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक विनियमों/नियमों (जिनमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं और जो प्रभावी हैं) के अनुसार बैंक से प्राप्त ऋण/वित्तीय सुविधाओं के संबंध में किसी "सूचना उपयोगिता" ("Information Utility" / "IU") — जैसा कि कोड की धारा 3(21) में परिभाषित है — को सौंपी जा सकती है। उधारकर्ता इस बात से भी सहमत है कि आईयू द्वारा अनुरोध किए जाने पर वह ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त "वित्तीय जानकारी" को तत्परता से प्रमाणित (authenticate) करेगा/करेगा।

30. उधारकर्ता सहमत होता/होते हैं और यह वचन देता/देते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL) तथा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत अन्य कोई एजेंसी, ऋणदाता (बैंक) द्वारा प्रकटीकृत उक्त जानकारी और डेटा का उपयोग एवं प्रसंस्करण अपने विवेकानुसार कर सकती है तथा उस प्रसंस्कृत जानकारी, डेटा अथवा उनसे तैयार उत्पादों को, आरबीआई द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य ऋणदाताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को, प्रतिफल के आधार पर उपलब्ध करा सकती है।

    मैं/हम समझते हैं कि मुझे/हमें ऋण/अग्रिम राशि/अन्य गैर-निधि आधारित क्रेडिट सुविधाएँ प्रदान करने की पूर्व-शर्त के रूप में, आरबीएल बैंक को मेरी/हमारी जानकारी एवं डेटा, मेरे/हमारे द्वारा ली गई/ली जाने वाली क्रेडिट सुविधा, उस संबंध में मेरी/हमारी ली गई/ली जाने वाली देयताएँ तथा यदि कोई चूक की गई हो तो उससे संबंधित विवरणों के प्रकटीकरण के लिए मेरी/हमारी सहमति आवश्यक है। अतः, मैं/हम इस प्रकार सहमत हैं और अपनी सहमति प्रदान करते हैं कि बैंक निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण कर सकता है—

    i. मेरे/हमारे संबंध में जानकारी और डेटा;

    ii. मेरे/हमारे द्वारा ली गई या ली जाने वाली किसी भी क्रेडिट सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा; और

    iii. यदि मेरी/हमारी किसी भी देयता के निर्वहन में कोई चूक हुई है तो उससे संबंधित विवरण — ऐसे किसी भी रूप में और उस सीमा तक, जैसा बैंक उपयुक्त और आवश्यक समझे, भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा अधिकृत क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL) या किसी अन्य एजेंसी को। साथ ही, सीआईबीआईएल और ऐसी कोई भी अधिकृत एजेंसी उक्त जानकारी और डेटा का उपयोग, प्रसंस्करण कर सकती है तथा उसके आधार पर तैयार प्रसंस्कृत जानकारी, डेटा या उत्पादों को, आरबीआई द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य ऋणदाताओं को प्रतिफल के आधार पर उपलब्ध करा सकती है।

31. इन नियमों एवं शर्तों को भारत के लागू कानूनों के अधीन नियंत्रित और व्याख्यायित किया जाएगा। पक्षकार स्पष्ट रूप से इस बात पर सहमत हैं कि ऋण, सुरक्षा, इन नियमों एवं शर्तों, अथवा अन्य संबंधित लेन-देन दस्तावेजों से उत्पन्न या उनसे संबंधित सभी विवाद, मतभेद, या दावे उस नगर/स्थान के न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे, जहाँ वह आरबीएल बैंक शाखा स्थित है, जिससे ऋण का वितरण किया गया है। हालाँकि, उपरोक्त विशिष्ट क्षेत्राधिकार की यह शर्त केवल उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी और आरबीएल बैंक को यह अधिकार होगा कि वह उपयुक्त क्षेत्राधिकार वाले किसी अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण में भी मामला दायर कर सके। आरबीएल बैंक को यह अधिकार होगा कि वह विवाद को "बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993" (Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993) के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal) में संदर्भित कर सके।यदि लागू क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उक्त अधिनियम के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) नहीं आता है, तो इन नियमों एवं शर्तों से उत्पन्न सभी विवादों, मतभेदों या दावों को आरबीएल बैंक द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ (Sole Arbitrator) के पास भेजा जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही "मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996" (Arbitration and Conciliation Act, 1996) या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन के अनुसार संपन्न की जाएगी। मध्यस्थता की कार्यवाही केवल मुंबई, दिल्ली या चेन्नई में ही आयोजित की जाएगी, और इसमें प्रयुक्त भाषा अंग्रेज़ी होगी। मध्यस्थ का निर्णय (Award) सभी पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

32. आरबीएल बैंक को यह अधिकार होगा कि वह उधारकर्ता के सभी धनराशि, संपत्ति अथवा दस्तावेज़, जो वर्तमान में या भविष्य में आरबीएल बैंक के पास जमा हैं या उसकी अभिरक्षा में हैं। चाहे वे किसी सामान्य या विशेष खाते / जमा में हों, या सुरक्षित रखने हेतु दिए गए हों — पर बैंकर का ग्रहणाधिकार अथवा समायोजन का अधिकार प्रयोग कर सके। ऐसे प्रत्येक ग्रहणाधिकार और समायोजन का अधिकार आरबीएल बैंक द्वारा उधारकर्ता को बिना किसी पूर्व माँग या सूचना के प्रयोग किया जा सकता है, और यह मानते हुए कि उक्त दायित्व असुरक्षित है। यह अधिकार उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति, खाते के क्रेडिट बैलेंस या आरबीएल बैंक की अभिरक्षा में रखी गई प्रतिभूतियों पर लागू होगा चाहे वे किसी भी प्रयोजन से सुरक्षित रखी गई हों। यदि आरबीएल बैंक द्वारा माँग किए जाने पर भी स्वीकृत ऋण के अंतर्गत देय राशि निर्धारित समय सीमा में अदा नहीं की जाती है, तो आरबीएल बैंक को यह अधिकार होगा कि वह उधारकर्ता के किसी भी खाते के क्रेडिट बैलेंस को समायोजित कर, देय राशि की वसूली कर सके। और यदि समायोजन के पश्चात भी कोई घाटा रह जाता है, तो उस कमी की वसूली आरबीएल बैंक उधारकर्ता से कर सकेगा। आरबीएल बैंक को यह भी अधिकार होगा कि वह उधारकर्ता को बिना किसी पूर्व सूचना के, उधारकर्ता के किसी अन्य दस्तावेज/अनुबंध के अंतर्गत आरबीएल बैंक के प्रति बकाया किसी भी देयता को समायोजित या स्थानांतरित कर सके इसके लिए वह उधारकर्ता के किसी भी खाते में उपलब्ध राशि अथवा जमा को समायोजित कर सकेगा। आरबीएल बैंक के किसी भी निर्णय / कार्रवाई / नीति जैसे कि किसी डेबिट एंट्री को पलटने, ब्याज न जोड़ने, या किसी अवधि के लिए किसी खाते, लेजर या स्टेटमेंट में डेबिट एंट्री न करने के बावजूद, उधारकर्ता आरबीएल बैंक को संयुक्त रूप से और पृथक रूप से संपूर्ण बकाया, डेबिट शेष राशि, तथा उस पर मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए बाध्य रहेगा। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता को सभी प्रकार के ब्याज, ब्याज कर , अतिदेय शुल्क , हर्जाने , कमीशन, लागत, शुल्क एवं व्यय का भुगतान भी उन दरों पर करना होगा जो आरबीएल बैंक समय-समय पर तय करे या कर सकता है। इसके लिए बैंक को किसी प्रकार की सूचना, संदर्भ या पूर्व अनुमति देने की आवश्यकता नहीं होगी।

33. उधारकर्ता यह वचन देता है कि वह आरबीएल बैंक तथा उसके सभी अधिकारीगण/कर्मचारियों को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करेगा तथा उन्हें किसी भी प्रकार की हानि या दायित्व से सुरक्षित रखेगा, जो इन शर्तों एवं नियमों के किसी भी प्रावधान, कथन, उपबंध, प्रतिज्ञान , प्रतिनिधित्व या वारंटी के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हों। यह क्षतिपूर्ति उन सभी स्थितियों को भी आच्छादित करेगी जहाँ उधारकर्ता के किसी भी प्रतिनिधित्व या वारंटी को किसी भी समय असत्य पाया जाए, जिसके परिणामस्वरूप आरबीएल बैंक को किसी प्रकार की कार्रवाई, मुकदमा, दावा, वाद, क्षति, दायित्व, हानि, व्यय या लागत वहन करनी पड़े या किसी भी प्रकार का नुकसान या परिणाम झेलना पड़े चाहे वह ऋण प्रदान करने या उधारकर्ता को किसी सेवा के निष्पादन से संबंधित हो। उधारकर्ता यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और समझता है कि यह क्षतिपूर्ति उसके सभी कर्मों और चूकों , प्रतिनिधित्वों या वारंटियों पर लागू होगी। इसी प्रकार, यदि आरबीएल बैंक के विरुद्ध किसी प्रकार का दावा किया जाता है।जो उधारकर्ता अथवा उसके कर्मचारियों/एजेंटों द्वारा किसी वारंटी या प्रतिनिधित्व के उल्लंघन, किसी लागू कानून का पालन न करने, किसी अनधिकृत कार्य, धोखाधड़ी, या किसी ऐसे कार्य के करने या न करने के कारण हो जो असत्य अथवा अनुचित पाया जाए तो ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता यह वचन देता है कि आरबीएल बैंक द्वारा पहली माँग किए जाने पर वह बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, विरोध या विलंब के, ऐसी माँग किए जाने के सात कार्य दिवसों के भीतर, संबंधित राशि का भुगतान करेगा।

34. आरबीएल बैंक को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी या सभी स्वीकृति शर्तों को निरस्त या संशोधित कर सके, अथवा नई शर्तें निर्धारित कर सके, जिसकी सूचना उधारकर्ता को दी जाएगी। ये नियम एवं शर्तें तथा इनके अंतर्गत संदर्भित अन्य सभी दस्तावेज़, यहाँ उल्लिखित या इससे संबंधित सभी शर्तों का समग्र रूप हैं और यह इस विषय में हुई सभी मौखिक चर्चाओं एवं पूर्व लिखित समझौतों को प्रतिस्थापित करते हैं। किन्तु, यदि कोई अनुसूची, समझौता या सुरक्षा दस्तावेज इन नियमों एवं शर्तों से पूर्व जारी या निष्पादित किए गए हों और जो इन नियमों एवं शर्तों के पूरक हों, न कि उनके समान या विरोधाभासी, तो वे इन नियमों एवं शर्तों के साथ-साथ प्रभावी रहेंगे।

35. उधारकर्ता यह स्वीकार करता है और सहमति देता है कि बैंक, अपनी गतिविधियों को स्वयं या अपने अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा अन्य अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से संपादित करने के अधिकारों को बनाए रखते हुए, एक या अधिक वसूली अभिकर्ता (रिकवरी एजेंट) नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार और अधिकारिता रखता है। बैंक ऐसे वसूली अभिकर्ता को इन नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत देय समस्त राशियों की वसूली और प्राप्ति से संबंधित अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्तियाँ सौंप सकता है, तथा उधारकर्ता से प्राप्त राशि की वैध रसीद जारी करने और समुचित विमोचन प्रदान करने का अधिकार भी उसे दे सकता है। इसके अतिरिक्त, वसूली अभिकर्ता को इस संबंध में या इससे संबंधित सभी वैध कार्य, दस्तावेज, कार्यवाहियाँ और आवश्यक कार्य संपादित करने का अधिकार होगा।

36. आरबीएल बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ऋण स्वीकृत किए जाने से पूर्व या उसके बाद, अपनी आवश्यकता एवं विवेकानुसार कोई भी अन्य या अतिरिक्त नियम एवं शर्तें निर्धारित कर सके, जो मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होंगी। यहाँ निर्दिष्ट बैंक के सभी अधिकार, शक्तियाँ और उपचारात्मक प्रावधान बैंक को विधि द्वारा प्राप्त अधिकारों के अतिरिक्त होंगे। बैंक इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए फोटोग्राफ और दस्तावेजों को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार रखता है तथा उन्हें मुझे/हमें वापस करने के लिए बाध्य नहीं होगा।बैंक, मुझे/हमें बिना किसी सूचना या पूर्व अनुमति दिए, अपने पूर्ण अधिकार और विवेक से इस ऋण सुविधा, इसके अंतर्गत बकाया देय राशि, किसी भी अधिकार, लाभ या दायित्व को, पूर्ण या आंशिक रूप से, किसी तृतीय पक्ष या व्यक्ति को विक्रय , अंतरण , सुपुर्द या प्रतिभूतिकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसा कोई भी अंतरण मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा। मैं/हम बिना बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के, इस अनुबंध के अंतर्गत अपने किसी भी लाभ या दायित्व को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विक्रय, अंतरण या सुपुर्द नहीं कर सकूँगा/सकेंगे।

37. मैं/हम यह समझते हैं कि इस ऋण की स्वीकृति पूर्णतः बैंक के विवेकाधिकार पर निर्भर है, तथा यह तभी प्रभावी होगी जब मैं/हम बैंक द्वारा अपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देंगे, आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित कर देंगे और अन्य सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर लेंगे। मैं/हम बैंक को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वह अपनी आवश्यकता और विवेकानुसार मेरी/हमारी ऋण-योग्यता की जाँच कर सके तथा अपने अभिलेखों में निहित किसी भी जानकारी को ऋण मूल्यांकन, जानकारी साझा करने या अन्य वैध उद्देश्य के लिए उपयोग या जारी कर सके। मैं/हम बैंक को यह भी अनुमति देते हैं कि वह किसी अन्य वित्तीय संस्था, बैंक या पंजीकृत ऋण ब्यूरो से मेरी/हमारी ऋण-संबंधी पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी प्राप्त करे तथा आवश्यक होने पर ऐसी जानकारी अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या पंजीकृत ऋण ब्यूरो को उपलब्ध कराए। आवेदन पत्र पर मेरे/हमारे हस्ताक्षर करने के पश्चात यह माना जाएगा कि मैंने/हमने ऋण से संबंधित सभी नियमों एवं शर्तों को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया है तथा उन पर अपनी सहमति दी है। उपरोक्त नियम एवं शर्तें, प्रतिज्ञा-पत्र, आवेदन पत्र अथवा बैंक द्वारा इस ऋण से संबंधित किसी अन्य लागू शर्तों के अतिरिक्त होंगी, न कि उनके विपरीत।

38. मैं/हम यह पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने इस ऋण से संबंधित सभी नियमों एवं शर्तों को प्राप्त कर लिया है, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ा और पूरी तरह समझ लिया है, तथा बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली किसी भी अतिरिक्त या संशोधित शर्तों को बिना किसी आपत्ति के स्वीकार करते हैं और उनके प्रति बाध्य रहेंगे।

39. स्वीकृति, हस्ताक्षर, प्रस्तुति एवं निष्पादन से संबंधित प्रावधान:

    इन नियमों एवं शर्तों को उधारकर्ता द्वारा भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निम्नानुसार स्वीकार किया जा सकता है। **(i) भौतिक स्वीकृति :** यदि दस्तावेज़ को उधारकर्ता द्वारा भौतिक रूप से स्वीकार किया जाता है, तो दस्तावेज़ के अंत में दिए गए हस्ताक्षर प्रावधान लागू होंगे। परंतु यदि दस्तावेज़ को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार किया गया है, तो भौतिक हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होंगे, भले ही हस्ताक्षर स्थान दस्तावेज़ में प्रदर्शित हों, उन्हें अप्रासंगिक माना जाएगा। **(ii) इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति** : यदि उधारकर्ता इस दस्तावेज़ को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार करता है, तो निम्नलिखित लागू होगा। उधारकर्ता यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि उसने इन नियमों एवं शर्तों को पढ़ा, सत्यापित और पूरी तरह समझ लिया है तथा उन्हें अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार किया है। इन नियमों एवं शर्तों सहित सभी संबंधित दस्तावेजों को उधारकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (e-sign), डिजिटल हस्ताक्षर, एकबारगी पासवर्ड (OTP), क्लिक, टिक या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित, स्वीकृत और प्रस्तुत किया गया माना जाएगा। ऐसे में किसी अतिरिक्त हस्ताक्षर, कृत्य या भौतिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। (iii) आधार प्रमाणीकरण हेतु सहमति : उधारकर्ता आरबीएल बैंक (तथा उसके सेवा प्रदाताओं/एजेंटों) को निम्नलिखित कार्यों के लिए अधिकृत करता है और अपनी सहमति प्रदान करता है— (क) आधार से संबंधित प्रमाणीकरण, सत्यापन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 तथा उसके अधीन नियमों, या आरबीआई केवाईसी निर्देशों के अंतर्गत, ओटीपी आधारित ई-केवाईसी या XML फाइल अथवा सिक्योर क्यूआर कोड के माध्यम से पूरा किया जा सके। (ख) उक्त प्रमाणीकरण प्रक्रिया का उपयोग डिजिटल हस्ताक्षर या ई-साइन के माध्यम से आवेदनों, घोषणाओं, प्रमाणपत्रों, नियमों एवं शर्तों, समझौतों तथा ऋण या सुरक्षा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए किया जा सके। (ग) आवश्यकतानुसार उक्त जानकारी का संग्रह, साझा करना, भंडारण, अभिलेखन, सत्यापन रिकॉर्ड्स का रख-रखाव तथा कानूनी एवं नियामक रिपोर्टिंग के प्रयोजनों हेतु उपयोग किया जा सके। (घ) सहमति, सूचना या प्रमाणीकरण से संबंधित रिकॉर्ड्स एवं लॉग्स को साक्ष्य के रूप में अदालत अथवा किसी विधिक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। (iv) उधारकर्ता यह समझता है कि उसका आधार संख्या एवं बायोमेट्रिक डेटा केवल विधि के अनुरूप और सीआईडीआर प्रस्तुतिकरण के लिए ही उपयोग किया जाएगा तथा उसे न तो संग्रहीत किया जाएगा और न साझा किया जाएगा। यदि इस दस्तावेज़ में किसी प्रकार की त्रुटि या जानकारी की असंगति पाई जाती है, तो इसके लिए आरबीएल बैंक या उसके अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे।

40. यदि इस नियम एवं शर्तों से संबंधित या इसके संदर्भ में कोई प्रश्न, चिंता या विवाद उत्पन्न होता है, तो उधारकर्ता आरबीएल बैंक के ग्राहक सेवा विभाग से customercare@rbl.bank.in पर ईमेल द्वारा या +91 22 6232 7777 पर कॉल करके संपर्क कर सकता/सकती है। ग्राहक शिकायत निवारण प्रक्रिया (Customer Grievance Redressal Process) एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स (Escalation Matrix) आरबीएल बैंक की वेबसाइट www.rbl.bank.in के "Policy" अनुभाग में उपलब्ध है।